

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार साव पिता श्री अनिरुद्ध साव, श्रीमती आरती कुमारी पति श्री निरंजन कुमार और श्रीमती अनीता देवी पति श्री सुधीर साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रेयती) खाता सं. 113, 127 और 128 के अंदीन प्लॉट सं. 531, 1760, 1761, 2353, 2356, 2355, 1829 एवं 2301; कुल रकबा - 06.00 एकड़ रेयती भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों व साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रेयती) खाता सं. 113, 127 और 128 के अंदीन प्लॉट सं. 531, 1760, 1761, 2353, 2356, 2355, 1829 एवं 2301; कुल रकबा - 06.00 एकड़ रेयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री अशोक कुमार साव पिता श्री अनिरुद्ध साव, श्रीमती आरती कुमारी पति श्री निरंजन कुमार और श्रीमती अनीता देवी पति श्री सुधीर साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

मुझे
13/10/2021

विवेक कुमार
03/10/2021

W.K.S.

13/10/2021 13:31